155

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला नरसिंहपुर म.प्र.

पत्र क्र.2735 /भू-अर्जन/2020

नरसिंहपुर दिनांक18 /08 /2020

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर के प्रस्ताव अनुसार गाडरवारा चीचली मार्ग पर रेल्वे क्रासिंग क्रं. 258 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु (एनटीपीसी डिपाजिट वर्क अंतर्गत) समुचित सरकार मौजा इमलिया प.ह.नं. 93 तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि रकवा 0.745हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन कराये जाने हेतु स्वतंत्र बहु-शाखायी विशेषता समूह का गठन किया गया था जिसके द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन उपरांत प्रस्तुत सिफारिशें (रिपोर्ट) अधिनियम की धारा 7(6) के तहत इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

अधिनियम की धारा 8(3) के तहत समुचित सरकार का विनिश्चय भी प्रकाशित किया जाता है कि प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं विशेष समूह द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट के परीक्षण उपरांत यह स्पष्ट है कि अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, पारिस्थितिकी में न्यूनतम छेड़छाड और प्रभावित व्यक्तियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित होता है।

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला नरसिंहपुर म.प्र.

पत्र क्र.2736 /भू-अर्जन/2020

नरसिंहपुर दिनांक 18 /08 /2020

प्रतिलिपि-:

1. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर की ओर जिले की बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर प्रकाशित प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. तहसीलदार गाडरवारा की ओर सार्वजनिक सूचना की एक प्रति कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गाडरवारा/तहसील कार्यालय गाडरवारा एवं ग्राम इमलिया तथा एक प्रति प्रभावित भूमि के सहजदृश्य स्थल पर डोंडी पिटवाकर एवं चस्पा कर प्रकाशन उपरांत प्रतिवेदन भू-अर्जन कार्यालय नरसिंहपुर में प्रस्तुत कर प्रकरण में संलग्न करावें।
5. जिला नाजिर कार्यालय नरसिंहपुर की ओर कार्यालय के सार्वजनिक सूचना पटल पर चस्पा कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु।

Received
27/08/2020

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला नरसिंहपुर म.प्र.

149

गाडरवारा चीचली मार्ग पर रेल्वे क्रांसिग क्रं. 258 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु (एनटीपीसी डिपाजिट वर्क अंतर्गत) मौजा इमलिया प.ह.नं. 93 तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर की अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विशेषज्ञ की अंकन रिपोर्ट

गाडरवारा चीचली मार्ग पर रेल्वे क्रांसिग क्रं. 258 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु (एनटीपीसी डिपाजिट वर्क अंतर्गत) मौज़ा इमलिया प.ह.नं. 93 तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर की अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समूह की अंकन रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग नरसिंहपुर मध्यप्रदेश के प्रकरण क्रमांक 01/अ –82/2019–20 में पंत्राक 2274/भू अर्जन/2020 नरसिंहपुर दिनांक 13.07.2020 द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7(2) मे तहत विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।

विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंकन हेतु रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में रेल्वे ओव्हर ब्रिज व पहुंच मार्ग निर्माण का कार्य आपसी सहमति से क्रय निति के तहत् क्रय की गई भूमि पर प्रारंभ है एवं अर्जित की जा रही भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही किया गया है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर 03 कच्चे मकान प्रभावित हो रहे है। भूमि अर्जन किये जाने से किसी भी परिवार का पूर्णतः विस्थापन किया जाना संभावित नही है।

जबलपुर इटारसी सेक्सन रेल खंड रेल्वे लेबिल कासिंग क्रमांक 258 गाडरवारा चीचली मार्ग पर रेल ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य के लिये भारतीय रेलवे के निर्धारित मानकों एवं सेतु निर्माण विभाग के मानको के तहत होने से दोनो विभागों के तकनीकि विभाग द्वारा स्थल का चयन किया गया है एवं इस हेतु अन्य कोई उपयुक्त स्थल नही है। प्रस्तावित स्थल ही रेल ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु उपयुक्त है। सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में जिक्र किया गया है कि लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां जैसे सडके, लोक परिवहन, जल–मल निकासी, सार्वजनिक पेय जल के स्त्रोत, सामुदायिक तालाब, जन सुविधायें (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य की दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, ऑगनवाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं श्मशान) आदि भू अर्जन किये जाने से प्रभावित नही हो रही है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद गाडरवारा
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व)
गाडरवारा

S.D.O. P.W.D.
Bridge Sub Dn. Narsinghpur

151

तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा अवगत कराया गया है कि रेल ओव्हर ब्रिज निर्माण से एनटीपीसी से गाडरवारा पहुंच मार्ग एवं आस पास के ग्रामों के नागरिकों के सुगम यातायात हेतु निर्माण किया जाना आवश्यक है इस निर्माण कार्य से रेल्वे कासिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं एवं यातायात बाधित होने के कारण होने वाले विलंब की समस्या निराकृत होगी।

स्थल निरीक्षण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो एवं सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन में पाया गया कि अधिग्रहित की जा रही भूमि के भूमि स्वामियों का विस्थापन नही हो रहा है। यह अधिग्रहण रेखीय अधिग्रहण की श्रेणी में आता है जिसमें सार्वजनिक लोक प्रयोजन के स्थल अप्रभावित है। मौके पर यातायात हो रहा है जो कि रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण से सुगम होगा जिसका पारिस्थितिकी तंत्र में कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

(डॉ. प्रमिला कुशवाहा)
सहायक प्रध्यापक
एम.आई.एम.टी. महाविद्यालय
नरसिंहपुर
गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी

Rinki Singh
(श्रीमति रिंकी सिंह)
सहायक प्रध्यापक
एम.आई.एम.टी. महाविद्यालय
नरसिंहपुर
गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व,
गाडरवारा
पुर्नव्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ
व अध्यक्ष

(राजेश सराठे)
तहसीलदार, गाडरवारा
पुर्नव्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ व
सदस्य

(आर के जैन)
अनुविभागीय अधिकारी
लो.नि.वि., सेतु निर्माण उप संभाग
नरसिंहपुर
तकनीकि विशेषज्ञ

संजय बाबू घाटोडे
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, गाडरवारा
पुर्नव्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ व
सदस्य